70

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 170-एक/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 17-1-2008 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 328/1993-94 अपील

दादू मृत विधिक मट्ठुकलाल पिता स्व. दादू
ग्राम चॉचर तहसील सिंगरोली जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

1- शिवधारी पुत्र लखेसर
2- रामसजीवन पुत्र अइदू
दोनों ग्राम चॉचर तहसील सिंगरोली जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 25.06 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 328/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक के पिता मृतक दादू ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 4 स-29/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-1993 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील प्रचलन के दौरान दादू पुत्र

निर्भय की दिनांक 16-1-2004 को मृत्यु हो गई, जिसके एकमात्र पुत्र मट्ठकलाल को वारिस बताते हुये व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन दिनांक 25-11-2006 प्रस्तुत कर मृतक के वारिस को रिकार्ड पर लेने की प्रार्थना की गई। व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 के आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17-1-08 पारित किया तथा आवेदक व्दारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 को 90 दिवस की अवधि के वाह्य प्रस्तुत होना मानकर अपील उपशमित होने से समाप्त कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रचलन के दौरान दादू पुत्र निर्भय की दिनांक 16-1-2004 को मृत्यु हुई है एंव मृतक दादू के वारिस मट्ठकलाल को रिकार्ड पर लेने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन दिनांक 25-11-2006 प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस हेतु समयसीमा 90 दिवस है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 में यह तथ्य भी छिपाये जाने की आपत्ति है कि मृतक दादू के मट्ठकलाल पुत्र के अलावा पुत्री धनकुंवर, पुत्री मुरदिया, पुत्री लक्ष्मनिया भी वारिस हैं जिन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 के आवेदन में छिपाया गया है इस प्रकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन बेरूम्याद होने एंव पक्षकारों का असंजयोजन का दोष होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 328/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-08 से अपील को उपसमित होना मानने में भूल नहीं की है। वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी

सिंगरोली के प्रकरण कमांक 4 स-29/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-1993 प्रत्यावर्तन आदेश है जिसके कारण दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय में सुनवाई का उपचार प्राप्त रहने से भी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 328/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-08 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 328/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर